

परिपत्र संख्या 25/11/2022

विषय : सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना एवं लागू करना ।

संदर्भ स.: (i) आयोग का दिनांक 25.01.2022 का परिपत्र संख्या 05/01/22
(ii) आयोग का दिनांक 20.12.2021 का परिपत्र संख्या 23/12/21

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक खरीद गतिविधियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को एक प्रभावी उपाय माना है। इसलिए आयोग ने केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने की सिफारिश की है।

2. दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र संख्या 05/01/22 के माध्यम से आयोग ने संबंधित संगठनों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी के पैरा 3.1 के अनुसार, सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने वाले सभी संगठनों को प्रारम्भिक मूल्य तय करने की आवश्यकता है जिसके ऊपर अनुबंध आईपी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसओपी के पैरा 3.10 में, यह दिया गया है कि संगठनों को तिमाही आधार पर आईईएम की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है और आवश्यक हो तो अधिक बार भी आयोजित की जा सकती है।

3. सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की सीमा को निर्धारित करने के लिए, आयोग चाहता है कि जिन संगठनों ने सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है, उन संगठनों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी सत्यनिष्ठा संधि के तहत आने वाले अनुबंधों के विवरण के साथ, उनके द्वारा आयोजित आईईएम की बैठकों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

4. दिनांक 31.11.2022 तक आयोग को संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-‘क’) में जानकारी प्रदान की जाए। जानकारी हार्डकॉपी में या ई-मेल के माध्यम से मेल आईडी bo2coord1-cvc@gov.in पर भेजी जाए।

5. अनुपालन के लिए इसे नोट किया जाए।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति

- (i) भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों /सीपीएसयू/ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/ स्वायत्त निकाय आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
- (ii) सीवीसी की वेबसाइट ।